प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-20 मार्च, 2020

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-517/सा0-1/एक्स-120(187)/06/जि.यो./2019-20, दिनांक-12.02.2020 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-3747/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-26.09.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के मानक मद 06-अन्य भत्ते में सम्भावित बचतों से उक्त लेखाशीर्षक के ही मानक मद 55-मकान किराया भत्ता में रू0-2.778 लाख व मानक मद 56-नगर प्रतिकर भत्ता में रू0-0.087 लाख इस प्रकार कुल रू0-2.865 लाख (रूपये दो लाख छियासी हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित करते हुए संलग्न जनपदवार विवरणानुसार निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-31.72 लाख (रूपये इकतीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01-वेतन	21.724
03-मंहगाई भत्ता	6.631
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.500
55-मकान किराया भत्ता	2.778
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.087
योग-	**31.720**

(रूपये इकतीस लाख बहत्तर हजार मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/3/35-आ-2/2018-14, दिनांक-16.12.2019 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला योजनाओं हेतु निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. बचतों की मद में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा कोई धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. आंकड़ों की शुद्धता व बचतों के सही होने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. मानक मद 52 में स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे.आ.-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक-22.12.2017 में अंकित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-यू.ओ.-178/दस-2020, दिनांक-03.03.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9 व जनपदवार फांट।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0- /2020/549(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-16/2020/549/सैंतीस-2-2020-1(21)/12, दिनांक-20 मार्च, 2020 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) **(धनराशि लाख में)**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	55-मकान किराया भत्ता	56-नगर प्रतिकर भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनभद्र	1.000	0.000	0.000	1.370	0.000	2.370
2	वाराणसी	0.000	0.213	0.000	0.000	0.000	0.213
3	गाजीपुर	6.500	2.500	0.000	0.000	0.000	9.000
4	मेरठ	0.022	0.040	0.000	0.756	0.087	0.905
5	औरैया	3.800	0.860	0.000	0.250	0.000	4.910
6	बलरामपुर	1.122	0.300	0.000	0.000	0.000	1.422
7	मथुरा	0.580	0.453	0.000	0.042	0.000	1.075
8	हरदोई	0.000	1.532	0.000	0.000	0.000	1.532
9	अमरोहा	4.470	0.370	0.000	0.000	0.000	4.840
10	बस्ती	2.034	0.000	0.500	0.320	0.000	2.854
11	मऊ	2.196	0.363	0.000	0.040	0.000	2.599
योग-		**21.724**	**6.631**	**0.500**	**2.778**	**0.087**	**31.720**

(रूपये इकतीस लाख बहत्तर हजार मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।